"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2007—आश्विन 6, शक 1929

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजू आ. कोमलसिंह साहू, निवासी क्वा. नं. 3 डी, सड़क नं. 29, सेक्टर-7, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं, यह कि मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम जोड़कर अपना नाम राजूसिंह साहू आ. कोमलसिंह साहू रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं

अतः अब अब मुझे राजूसिंह साहू आ. कोमलसिंह साहू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

राजू आ. श्री कोमलसिंह साहू
निवासी-क्वा. नं.-3 डी, सड़क नं. 29
सेक्टर-7, भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राजूसिंह साहू आ. श्री कोमलसिंह साहू
निवासी-क्वा. नं.-3 डी, सड़क नं. 29
सेक्टर-7, भिलाई नगर
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शहाबुद्दीन आत्मज निजामुद्दीन, निवासी-मो. अकबर के घर के पास, मौदहापारा, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम (कुलनाम) जोड़कर अपना नाम शेख शहाबुद्दीन आ. शेख निजामुद्दीन रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शेख शहाबुद्दीन आ. शेख निजामुद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शहाबुद्दीन आ. निजामुद्दीन पता-मो. अकबर के घर के पास मौदहापारा, रायपुर (छ. ग.)	शेख शहाबुद्दीन आ. शेख निजामुद्दीन पता-मो. अकबर के घर के पास मौदहापारा, रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 5 सितम्बर 2007

क्रमांक/उपकां./परिसमापन/2007/518.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपकां./निर्वाचन/2007/283, दिनांक 22-06-07 द्वारा रेशम धागा उद्योग सहकारी समिति मर्या. बाबूकोहका पंजी. क्र. 439 का निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था. किन्तु संस्था के सदस्यों द्वारा निर्वाचन कराने में असफल रहे. इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी लिखित अनुशंसा कर परिसमापन में लाने की सिफारिश की गई है.

अतः मैं, सुनील तिवारी, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कांकेर, छ. ग. सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत एवं सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-7-3/सह./15/2436, रायपुर दिनांक 13-06-2001 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत रेशम धागा उद्योग सहकारी समिति मर्या. बाबूकोहका पंजी. क्र.-439 का परिसमापक श्री आर. डी. कुल्हारा, वरि. सह. निरीक्षक, कांकेर को नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 03-09-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सुनील तिवारी,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.